तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **जोगाराम वगैरह बनाम शैतानसिंह वगैरह, मुकदमा संख्या :– 02 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए

08.10.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा रावतसर, पटवार क्षेत्र–हरियाली में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा संख्या 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 353 रकबा 1.88 हैक्टेयर, जुमले रकबा 2.58 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसके चारों ओर वर्षो पुरानी माठे कायम है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी भी स्थित है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण खेतीबाडी कर अपनी आजीविका चलाते है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी मालिकाना हकहकूक कब्जा काश्त की भूमि है उक्त भूमि राजस्व ट्रेस नक्शा में अलग तरमीमशुदा आई हुई है। वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 येन–केन प्रकारेण जबरन हडप कर हम प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हकहकूक, कब्जा या अधिकार नही होने से ऐसा करने का उन्हें कोई कानुनी हक नही है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि के उतरी सिरे पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत आए हुए है। उक्त खेतों के मध्य वर्षो पुरानी माठें कायम है तथा कांटों की बाड़ भी की हुई है। उक्त माठ को अप्रार्थीगण आये दिन तोड़ते रहते है तथा जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते है। अप्रार्थीगण एलानियां धमकियां देते हैं कि वादग्रस्त खेत में जबरन प्रवेश कर अप्रार्थीगण पक्का निर्माण, मकान, टांका आदि बना देंगे। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त, मालिकाना हकहकूक खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करें तथा न ही खेत की माठ इत्यादि तोड़ें तथा न ही कच्चा पक्का निर्माण करें अन्यथा करावें। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण नाजायज गिरोह से अवैध तरीके से प्रार्थीगण को अपने खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर जबरन प्रवेश कर निर्माण इत्यादि कर अपने खातेदारी हकों से वंचित कर देते है तो प्रार्थीगण को अपरूणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नही है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधार स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन एवं गलत ढंग से पेश करने पर खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के वि[illegible] मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मौजा रावतसर पटवार क्षेत्र हरियाली के खसरा संख्या 345 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 353 रकबा 1.88 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.58 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भू[illegible] दखलदांजी नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:23 IST
Reason: SelfAttested